न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) /ए०सी०जे०एम ०कसया ,कुशीनगर

24–07–2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण पूर्व से गैरहाजिर ।

प्रस्तुत मामला एक सम्मन मामला है व दो वर्ष की सजा से दण्डनीय है । अतः स्पष्ट है कि सम्मन मामलें में कई वर्षो तक कार्यवाही चलने के बावजूद पुलिस अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित करने में असफल रही है। सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उपस्थित करने के सम्बन्ध में या उसके जीवित या मृत होने के सम्बन्ध में जानकारी के बावत समुचित प्रयास किया जाना ही प्रतीत नहीं होता है ।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपने परिपत्र संख्या–52, 2008 दिनांकित 15–11–2006 में सभी अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश दिया गया है कि लघु मामलों में अभियुक्त की उपस्थिति हेतु पुलिस को सीमित अवसर प्रदान करना चाहिये । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी विधि व्यवस्था 2009 न्यायालय निर्णय सार 153 में यह अभिनिर्धारित किया है कि सम्मन मामलों में कार्यवाही धारा 258 द०प्र०सं० के अधीन किसी भी प्रक्रम पर रोकी जा सकती है । यदि बाद में अभियुक्त के बारें में जानकारी मिलती है तो उसके विरूद्व पुनःकार्यवाही की जा सकती है ।

अतःइस मामलें की परिस्थितियों एवं कई वर्षो से अभियुक्त को उपस्थित करने में पुलिस की असमर्थता को देखते हुए मैं इस मामलें को धारा 258 द०प्र०सं०के प्रावधान के लिये समुचित पाता हूॅ ।अतःवाद की कार्यवाही धारा 258 द०प्र०सं०के अन्तर्गत रोके जाने योग्य है ।

आदेश

वाद की कार्यवाही धारा 258 द०प्र०सं०के अन्तर्गत रोकी जाती है । पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

सिविल जज (सी०डि०)/ए०सी०जे०एम०
कसया, कुशीनगर।